(68)

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

(बिहार शहरी विकास अभिकरण)

।। कार्यालय आदेश ।।

सं0सं0–04/RAY-05/2015- 240 /न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक– 01/8/16

कार्यालय आदेश सं0–123 सह पठित ज्ञापांक–2211 दिनांक -22.04.15 द्वारा राजीव आवास योजना के अन्तर्गत 07 परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु संबंधित नगर निकायों को आवास एवं आधारभूत संरचना मद में प्रथम किस्त आवंटित की जा चुकी है। इसी क्रम में (योजना की कार्यान्वयन हेतु) नगर निकायों को आवास एवं आधारभूत संरचना मद में राशि ₹2292.45 लाख (बाईस करोड़ बानवे लाख पैंतालीस हजार रू0) मात्र की स्वीकृति दी जाती है। संबंधित नगर निकाय के नाम के सम्मुख स्तम्भ–8 में अंकित राशि विमुक्त करने की स्वीकृत दी जाती है, विवरणी निम्नवत् है :–

(राशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	नगर निकाय का नाम	परियोजना का नाम	कुल परियोजना लागत	अबतक आवास एवं आधारभूत संरचना मद में विमुक्त राशि	विमुक्त की जाने वाली राशि		कुल राशि 6+7
					आवास	आरधारभूत संरचना	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पटना नगर निगम।	पटना फेज–I	2815.83	452.94	382.48	70.45	452.93
2	पटना नगर निगम।	पटना फेज–II	3857.62	622.21	36.14	86.07	122.21
3	दरभंगा नगर निगम	दरभंगा फेज–I	8056.43	1329.74	1133.94	195.80	1329.74
4	पूर्णिया नगर निगम	पूर्णिया फेज–I	9393.97	2711.22	0.00	387.57	387.57
				कुल–	**1552.56**	**739.89**	**2292.45**

(बाईस करोड़ बानवे लाख पैंतालीस हजार रू0)

2. अतः उपरोक्त विवरणी के स्तंभ 08 में अंकित राशि नगर निकायों में आवास एवं आधारभूत संरचना के कार्यान्वयन हेतु RTGS के माध्यम से संबंधित बैंक खाता में उपलब्ध करा दी जाय।

3. योजना की पूर्णता एवं परियोजना की गुणवत्ता सर्वोपरि है। अतः संबंधित नगर आयुक्त, नगर निगम योजना का सघन पर्यवेक्षण करेंगे।

4. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

1/8/16

अपर सचिव–सह–निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।